

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2018 (चैत्र 1, 1940)

लोक लेखा, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों में रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223-क के उपनियम (1) एवं नियम 234-क के उप नियम (1) के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नांकित समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उनके सम्मुख अंकित सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2017-2018 की शेष अवधि के लिए दिनांक 21 मार्च, 2018 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1.	लोक लेखा समिति	श्री रामनिवास रावत
2.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	श्री गोविन्द सिंह पटेल
3.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	श्रीमती उमादेवी लालचन्द खटीक

उपर्युक्त के साथ ही मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन श्री रामनिवास रावत, मान. सदस्य को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

ए. पी. सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.